

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3537

दिनांक: 30/07/11


// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिचय 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, वायपास रोड़, गुना
मनोनीत सदस्य : 1. श्री अशोक शर्मा, सदस्य, कार्यपरिषद्

2. डॉ. आर.एस. पंवार, प्राचार्य, शासकीय एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर


उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, वायपास रोड़, गुना की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाने न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे तथिया हो।



फ़ोन : दूरभाष/रेडि
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(विद्यार्थक)
2442462 (विद्यार्थ)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gw@rediffmail.com
Website :
http://www.jwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एक/सम्बद्धता/2012/4933

दिनांक : 25/5/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 को पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना के सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-सी., बी.एस-सी. (अति.वि. कम्प्यूटर), बी.ए., बी.ए. (अति.वि. कम्प्यूटर), बी.कॉम., बी.कॉम. (अति.वि. कम्प्यूटर), बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.लिब., एम.लिब., पी.जी.डी.सी.ए. कार्यक्रम के लिये अर्थात् सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. नया भवन शीघ्र निर्मित किया जाए।
2. 15 लक्ष कम्प्यूटर क्रय किए जाएं।
3. पाठ्यक्रमों से संबंधित सम्बन्धित वैश्विक साफ्टवेयर सीमांत साफ्टवेयर क्रय किए जाएं।
4. प्राचार्य की नियुक्ति 28(17) के अनुसार की जाए।
5. रु. 30,000/- की title books क्रय की जाएं।
6. अन्य दिशा पदों पर 28(17) के अनुसार नियुक्ति की जाए।
7. पूर्व की विरीक्षण समिति द्वारा पी.जी.डी.सी.ए. में सत्र 2009-10 से शीट संख्या 60 विधायित की गई थी महाविद्यालय को द्वारा इसका उत्तरदायक करके सत्र 2010-11 में 90 छात्रों को प्रवेश दिया गया, वि.वि. के द्वारा सत्र 2010-11 के लिए अतिरिक्त विरीक्षण समिति को द्वारा विरीक्षण से पहले ही सत्र 2010-11 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सभी 90 छात्रों की कटौती गई और दूसरा सेमेस्टर भी समाप्त पर है।
अतः यह विरीक्षण समिति अनुशंसा करती है कि वि.वि. इस महाविद्यालय को एक वेतनवही पत्र जारी करे कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होने पर वि.वि. अतिरिक्त छात्रों की परीक्षा कठाने के लिए तैयार नहीं होगा और इस स्थिति के लिए महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा मौजूदा सत्र के 90 छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह विरीक्षण समिति अनुशंसा करती है कि इसको विशेष प्रकल्प मानते हुए इन सभी 90 छात्रों की पूर्ण विधिवत परीक्षा करा दे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुरा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बंगल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो एव क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविदा हो।



ग्राम : दूरीवर्षिणी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4983

दिनांक: 01/06/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना (07542-329636) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधानों प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचयन 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. रेणू श्रीवास्तव, प्राचार्य, बोस्टन कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचयन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर सशु, तापित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, ब्रीडिंग परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानों अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय एवं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः विरस हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तदनुसार ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिचयन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देव होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एच एमएचएर कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाने व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में एच एमएचएर हुआ हो तो एच क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाने जिससे सुविधा हो।



आम : दूजीवसिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
शिवालय
2442462 (ग्वालियर)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jurg_gwt@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/4983

दिनांक : 1/06/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तापित/संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय द्वारा निरन्तर विश्वविद्यालय की शर्तों को पालन की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है।
2. एक भवन में बी.एड. एम.एड. के अलावा अन्य कई पाठ्यक्रम संचालित है।
3. शिक्षण स्टाफ भी 28(17) में नियुक्त नहीं किया गया है।
4. चूंकि सम्बद्धता हेतु निरीक्षण सत्र समाप्त होने के पश्चात कराया गया है, अर्थात् महाविद्यालय छात्रों को प्रवेश लेकर परीक्षा तक समस्त प्रक्रिया सम्पन्न कर चुका है। अतः छात्र हित को ध्यान में रखते हुये विगत सत्र 2010-11 की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जा सकती है।
5. परन्तु यदि महाविद्यालय पूर्व में लगाई गई शर्तों का पालन निर्धारित अवधि में सुनिश्चित नहीं करता है, तो भविष्य में उसे प्रवेश देने में रोक जाना उचित होगा।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना।
2. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, इंदिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अत्यन्त विवक्षित जावे लिखते रहिये।



ग्राम : गूजीवसिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5134

दिनांक: 25/7/12

// सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध युवा व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, ए.बी. रोड़, गुन्ना को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. ए.के. शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442630)
- (2) डॉ. एस.के. सिंह, उपाचार्य, वाणिज्य अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) श्रीमती सुजीता तिवारी, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्रथिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, ड्रीड्रा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथ्य प्रत्यक्ष/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विधुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से निवेदन है कि ये उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देश के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आवुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः विस्तृत हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आवृत्त है कि समिति के संयोजक से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : गूडीवर्गिरी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jurcg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 5160

दिनांक : 4/08/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09 फरवरी 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. परिनियम 27/28 का पूर्ण पालन करें।
2. प्राचार्य, शिक्षक तथा गैर शिक्षक स्टाफ की नियुक्ति 28(17) के तहत की जावे।
3. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु अलग भवन की व्यवस्था की जावे।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे तिरसे सुविधा हो।



गाम : यूवीसिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5097

दिनांक: 09.07.12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना (07542-329636) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.पी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. संजय कुलश्रेष्ठ, आचार्य, विधि संस्थान, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(0751-2442793) (संयोजक)
- (2) डॉ. के.एस. गुर्जर, उपाचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.डी. सिसौदिया, उपाचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/सुनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एवं व्यापक सुसज्जित जीवाजी विश्वविद्यालय को जग में ही माना जाये कि किसी अन्य विश्वविद्यालय को जग में। समस्त विश्व पर यदि पूर्ण में यह व्यापक दृष्टि हो तो यह अत्यंत ही विश्वोत्तर विद्या लक्ष्य विद्यते विद्यते।



जग : ग्वालियर
दूरभाष : (0751) 2341898
(0751) 2442029
फैक्स : (0751) 2341758

प्रोग्राम :
सुलसणिय,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एक/सम्बद्धता/2009/ 5-338

दिनांक: 04/10/12

// सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने सम्बद्ध युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना (07542-329636) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए., बी.कॉम., बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.लिब., एम.लिब., पी.जी.डी.सी.ए. एवं जी.एस-डी., पाठ्यक्रम वक्षा.पाठ्यक्रमों/विषयों की अत्याधुनिक सज्जता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वामी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है -

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिसचिव, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. के.एस. ठाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों ने अनुसंधान के दि. 27/10/12 के प्रास्ताविक अनुसंधान महाविद्यालय का प्रास्ताविक निरीक्षण कर चुक. प्रवेशक संश्लेष, शैक्षणिक शैक्षणिक/अर्थशास्त्रिक स्टाफ, प्राधिकाृत संस्था ने प्रास्ताविक/अनुसंधान प्रमाण पत्र, प्रबन्ध, शैक्षणिक परिचर एवं पाठ्यक्रम/अर्थशास्त्र तथा शिक्षण सत्र में ही अर्ज शर्तों की पूर्ति गद्य प्रमाण पत्र, दो तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अर्थशास्त्रिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधान अंकित करे। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष युवावा पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावे। समिति संयोजक से विवेक है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करे एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करे। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन कर पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में ही अर्ज देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी युवावा आगुलत, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जायेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को बण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिचियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति को साथ सज्जता साक्षात् कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पंजावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करवेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / नाबदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबन्धित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करे।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतगुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक सप्ताह कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के पास ही होना चाहिए कि किसी अन्य परिसरों को नहीं।
सम्बन्धित विवरण पर एच.टी.सी. में एक सप्ताह हुआ हो तो एक समान उन दिनों-असह्य दिनांक एवं दिनांकें दर्शित हों।



आम : २०१०/११
दूरभाष : (०१११) २३४१२०६
(०१११) २४४२८२२
फैक्स : (०१११) २३४१२६८

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

क्रमांक: २४/अनुसूचक/१९३०९/ 5339

दिनांक: ०५/१०/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध युवा व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, गुना (०७५४२-३२२६०६) को सत्र २०१२-१३ के लिये परस्तादि/संचालित पी.ए. बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.बी.एड., पी.जी.डी.सी.ए. एवं बी.एड.सी., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसूचार्थ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के परिचियम २१(१०) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (१) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिसचिव, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (२) प्रो. डी.एन. जोरवारी, आचार्य, तन्मयूट साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (३) डॉ. के.एस. चक्रवर्ती, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचियम २१(१०) के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण पर पुस्तक, प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम/अभियन्त तथा शिक्षण सत्र में ही हुई हलों की पूर्ति तथा प्रमाण परीक्षा तथा प्राचार्य/सैक्युलर एवं अधीक्षणिक सत्रों की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसूचार्थ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पर प्राप्त होने के ३० दिनों के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेक है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन ०७ दिनों में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसमें सूचना आगुस्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय ०३ माह में निरीक्षण नहीं कराया है तो समिति स्वतः विरल हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. २०,०००/- लगा करवाये जावेगा। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिचियम २१(११)(१) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जाने तक उन सबको को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कर्मचारी अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रशासकी अधिकारी कार्य करें तथा महाविद्यालय की उत्तुष्टि से निरीक्षण समिति को जवाब करावें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को पी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

१. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं अतिरिक्त कार्यवाही हेतु।
२. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबन्धित महाविद्यालय की ओर भेजकर आज्ञा है कि समिति के संयोजक से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण १५ दिनों के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
३. आगुस्त उच्च शिक्षा, सतपुरा भवन, भोपाल
४. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी महासचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)